



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19091

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3909 वर्ष 2025

कमलेश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजीत सिंह, अनिल कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।
2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“ए. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए राज्य प्राधिकारियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम सिसवनिया बिशुन, तप्पा लेहरा, तहसील नौतनवा, जनपद महाराजगंज स्थित गाटा संख्या 326, क्षेत्रफल 0.096 हेक्टेयर, पर अवस्थित सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि अर्थात् खाद गड्ढा (कम्पोस्ट पिट) पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में जनहित में आवश्यक एवं विधिसम्मत कार्यवाही करें।”
3. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता को प्रकरण में निर्देश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया था।
4. इस न्यायालय के दिनांक 6.1.2026 के आदेश के अनुपालन में, उपजिलाधिकारी, नौतनवा, महाराजगंज द्वारा प्रेषित दिनांक 27.1.2026 की निर्देश-पत्री अभिलेख पर ली जाती है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम समेकन कार्यवाही के अधीन है; अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।
6. चूँकि ग्राम समेकन कार्यवाही के अधीन है, अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. तदनुसार, लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 28, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।